न्यायालय अवर न्यायाधीश गोगरी
टी0एस0 15 / 2014

दिनांक 24.02.2021

उभय पक्ष की ओर से उनके विद्वान अधिवक्तागण के माध्यम से हाजरी दी गई जिसे आज के लिए स्वीकृत किया गया।

प्रस्तुत वाद आज आवेदक वादी की ओर से दिनांक 22.09.20 को सी0पी0सी0 के आदेश 22 नियम 04 एवं लिमिटेशन एक्ट की धारा 05 के तहत दाखिल आवेदन एवं वादी की ओर से पुनः दिनांक 04.02.2021 को दाखिल पुरक आवेदन एवं आज दिनांक 24.02.2021 को आदेश 22 नियम 09 के तहत दाखिल आवेदन एवं प्रतिवादी की ओर से दिनांक 22.12.2020 एवं आज दिनांक 24.02.2021 को दाखिल प्रतिउत्तर पर सुनवाई के पश्चात आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

वादी आवेदक की ओर से उक्त आवेदन दिनांक 22.09.2020 एवं पुरक आवेदन दिनांक 04.02.2021 को दाखिल कर कथन किया गया है कि इस वाद के लम्बित रहने के दौरान प्रतिवादी सं0 01 अपने पीछे अपनी विधवा, पुत्रों एवं पुत्री को छोड़कर दिनांक 02.03.2020 को स्वर्गवास कर गए जिनका नाम क्रमशः निम्नलिखित हैं।

(1) मोस्मात सुलोचना देवी पति स्व0 कैलाश सिंह
(2) कमल किशोर पिता स्व0 कैलाश सिंह
(3) नवल किशोर पिता कैलाश सिंह
(4) चन्द्र किशोर पिता स्व0 कैलाश सिंह
(5) रिंकी देवी पिता स्व0 कैलाश सिंह

वादी आवेदक की ओर से आगे कथन किया गया है कि प्रतिवादी सं0 01 के उपरोक्त सभी विधिक वारिसान अनुसूची 01 के उत्तराधिकारी हैं जिन्हें मृतक प्रतिवादी सं0 01 के स्थान पर प्रतिस्थापित करना आवश्यक है अतः निवेदन है कि वाद पत्र के टाईटिल पेज पर मृतक प्रतिवादी सं0 01 के नाम को विलोपित कर उनके स्थान पर उनके उपरोक्त नामित विधिक वारिसानों को प्रतिवादी सं0 01 से लेकर 01(iv) तक प्रतिस्थापित करने की कृपा की जाय।

प्रतिवादी की ओर से उक्त प्रतिउत्तर दाखिल कर कथन किया गया है कि वादी का उक्त आवेदन दिनांक 22.09.20 किसी भी कीमत पर पोषणीय नहीं है बल्कि खारिज होने योग्य है। आगे कथन किया गया है कि वादी ने जो वारिसानों का नाम दिया है उसमें पहले न0 पर लिखा है कि मोसमात सुलोचना देवी पति स्व0 कैलाश सिंह जोकि गलत है। सही तथ्य यह है कि मोसमात मीणा देवी पति स्व0 कैलाश सिंह सही है एवं सिरियल नं0 – 01(5) में उसका पूरा पता रीना देवी पति शेखर सिंह पुत्री स्व0 कैलाश सिंह साकिन हाजीपुर खगड़िया वार्ड न0 17 पो0 + थाना खगड़िया जिला खगड़िया है। आगे कथन किया गया है कि प्रतिवादी सं0 01 कैलाश सिंह की मृत्यु दिनांक 02.03.2020 को हो गई और इस सम्बंध में न्यायालय में दिनांक 22.09.2020 को ही प्रतिवादीगण के द्वारा जानकारी का आवेदन दिया जा चुका है। अतः निवेदन है कि उपरोक्त आवेदन खर्चा के साथ खारिज करने की कृपा की जाय। वादी की ओर से दिनांक 04.02.21 को दिनांक 22.09.20 को दाखिल

(लगातार....पेज/2)

न्यायालय अवर न्यायाधीश गोगरी
टी0एस0 15 / 2014

दिनांक 24.02.2021

लगातार.....

आवेदन वादी की ओर से दिनांक 04.02.21 को दिनांक 22.09.20 को दाखिल आवेदन का पुरक आवेदन दाखिल कर कथन किया गया है कि वादी की ओर दिनांक 22.09.20 को प्रतिवादी सं0 01 कैलाश सिंह की मृत्यु के उपरांत उनके वारिसानों को प्रतिस्थापित करने के लिए प्रतिस्थापन आवेदन दाखिल किया गया है जिसका प्रतिउत्तर प्रतिवादी की ओर से दिनांक 22.12.20 को दाखिल किया गया है। आगे कथन किया गया है कि वादी की ओर से दाखिल प्रतिस्थापन आवेदन में प्रतिवादी सं0 01 की पत्नी का नाम मोसमात सुलोचना देवी को मोसमात मीना देवी एवं पुत्री रिंकी देवी सुधार कर रीना देवी पढा जाय और उक्त आवेदन में पुत्री के ससुराल का पता रीना देवी पेसर स्व0 कैलाश सिंह, जौजे शेखर सिंह, साकिन हाजीपुर, खगड़िया, वार्ड न0 17, पो0+थाना खगड़िया, जिला खगड़िया जोड़ा जाय। अतः निवेदन है कि वादी की ओर से दाखिल उस पुरक आवेदन को वादी की ओर से पूर्व में दाखिल प्रतिस्थापन आवेदन दिनांक 22.09.20 के साथ पढे जाने की कृपा की जाय।

सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत वाद के प्रतिवादी सं0 01 स्व0 कैलाश सिंह की मृत्यु दिनांक 02.03.2020 को हो गई है जोकि वादी की ओर से दाखिल उक्त आवेदन एवं शपथ पत्र से स्पष्ट है और प्रस्तुत आवेदन दिनांक 22.09.20 को दाखिल किया गया है जो करीब 03 महिना से अधिक के विलम्ब से है। परन्तु वादी की ओर से इस विलम्ब की अवधि को माफ करने एवं अबेटमेंट को सेट असाइड करने हेतु लिमिटेशन एक्ट की धारा 05 एवं सी0पी0सी0 की धारा 22 नियम 9 (2) के तहत आवेदन दाखिल किया गया है जिसे न्यायहित में स्वीकार करते हुए विलम्ब की अवधि को माफ किया जाता है और अबेटमेंट को सेट असाइड किया जाता है एवं वादी की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 22.09.2020 एवं पुरक आवेदन दिनांक 04.02.21को स्वीकार करते हुए मृत प्रतिवादी सं0 01 स्व0 कैलाश सिंह का नाम वाद पत्र से विलोपित करते हुए उनके विधिक वारिसानों पत्नी मीना देवी पति स्व0 कैलाश सिंह, कमल किशोर पिता स्व0 कैलाश सिंह, नवल किशोर पिता स्व0 कैलाश सिंह, चन्द्र किशोर पिता स्व0 कैलाश सिंह एवं पुत्री रीना देवी पिता स्व0 कैलाश सिंह पति शेखर सिंह साकिन हाजीपुर खगड़िया, वार्ड न0 17, पो0+थाना– खगड़िया, जिला खगड़िया को उनके स्थान पर प्रतिस्थापित करने का आदेश दिया जाता है। आवेदक वादी विधिक समय सीमा के अन्दर वाद पत्र पर मृत प्रतिवादी सं0 01 स्व0 कैलाश सिंह का नाम विलोपित करते हुए उनके उपरोक्त विधिक वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित करें।

दिनांक 10.03.2021 वास्ते प्रतिस्थापन एवं अग्रिम कारवाई।

अवर न्यायाधीश
गोगरी
दिनांकः 24.02.2021

I